बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्रांक– 11 / कृ0नि0भू0सं0(यो0)01 / 2018–3700 / कृ0, पटना दिनांक 12-10-2018

प्रेषक,

रवीन्द्र नाथ राय,
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

 # अनौपचारिक रूप से परामर्शित # **द्वारा** – वित्त विभाग।

विषय – **राज्य योजनान्तर्गत भूमि एवं जल संरक्षण से सम्बंधित योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में 50,00.00 लाख (पचास करोड़) रु0 की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

राज्य योजनान्तर्गत भूमि एवं जल संरक्षण से सम्बंधित योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में 50,00.00 लाख (पचास करोड़) रु0 की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इस योजना का कार्यान्वयन दक्षिण बिहार के सभी 17 जिले–यथा बांका, मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, पटना, जहानाबाद, अरवल, शेखपुरा, लखीसराय, नालन्दा, भागलपुर, भोजपुर एवं बक्सर में किया जायेगा। उक्त 17 जिलों में से 14 जिले– बांका, मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, पटना, जहानाबाद, अरवल, शेखपुरा, लखीसराय एवं नालन्दा में प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना– जलछाजन विकास का कार्यान्वयन किया जा रहा है। वैसे जिले जहॉ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–जलछाजन विकास की योजना चल रही है के जलछाजन क्षेत्र में इस योजना की न्यूनतम 75 प्रतिशत राशि का व्यय प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना– जलछाजन विकास के परियोजना क्षेत्र में अभिसरण (Convergence) के रुप में किया जायेगा। कृषको के अनुरोध पर अधिकतम 25 प्रतिशत परियोजना राशि का व्यय परियोजना क्षेत्र के बाहर स्थान विशेष की आवश्यकता को देखते हुए तकनीकी रुप से उपयुक्त स्थल पर कार्य कराने पर किया जा सकेगा। शेष जिले– भागलपुर, भोजपुर एवं बक्सर के वेसै प्रखंड जहॉ भूगर्भ जलस्तर अपेक्षाकृत अधिक नीचे है अथवा सिंचाई हेतु जल की उपलब्धता कम है की पहचान कर उक्त प्रखंड के एक बड़े पैच अथवा आस–पास में cluster में इस योजना के माध्यम से कार्य कराया जायेगा।

2. योजनान्तर्गत 164 पक्का चेक डैम, 702 साद अवरोधक बांध का निर्माण, 1452 यूनिट आहर की मरम्मति, 2158 यूनिट मेड़बन्दी, 80 हेक्टेयर स्ट्रैगर्ड कंटूर ट्रेंचिंग एवं 652.17 एकड़ में शुष्क बागवानी के तहत पौधारोपण का कार्य इस स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न अनुसूची–1 के अनुसार कराया जायेगा। फार्म बंडिंग एवं शुष्क बागवानी के तहत पौधारोपण कार्य कृषको की निजी भूमि पर कराया जायेगा जिसपर होने वाले कुल व्यय का 10 प्रतिशत लाभुक / कृषक अंशदान होगा। शेष कार्य शत प्रतिशत अनुदान पर कराया जायेगा।